उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2,

संख्या-क0नि0-1459/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(120)-14

लखनऊ, दिनांकः 07 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांकः 08 नवम्बर, 2014 से सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1315/ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(101)-2013 दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैः-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, परन्तुक में, खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/